

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस10)

वाद सं0 : 243 सन 2022

अनवान :-

1. पतराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. परमेश्वरी पत्नी अमराराम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
2. धन्नाराम पुत्र अमराराम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
3. दुनीराम पुत्र अमराराम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
4. चम्पादेवी पुत्री स्व अमराराम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
5. तुलसी पुत्री स्व अमराराम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
6. पूनम पुत्री स्व बादुदेवी जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
7. दीपक पुत्र स्व बादुदेवी जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर
8. ममता पुत्री स्व बादुदेवी जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर
9. विक्की पुत्र स्व बादुदेवी जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर
10. आरती पुत्री स्व बादुदेवी जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 22/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 161/164 की कुल 23.0229 हैक में से 51865/230229 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमरा वल्द मन्शाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमरा वल्द मन्शाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है अमरा वल्द मन्शाराम का देहान्त हो चुका है अमरा वल्द मन्शाराम की पुत्री बाधुदेवी का देहान्त हो चुका है अमरा वल्द मन्शाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो अमरा वल्द मन्शाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की अमरा वल्द मन्शाराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमरा वल्द मन्शाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है अमरा वल्द मन्शाराम का देहान्त हो चुका है अमरा वल्द मन्शाराम की पुत्री बाधुदेवी का देहान्त हो चुका है अमरा वल्द मन्शाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो अमरा वल्द मन्शाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों

उपखण्ड अधिकारी

नेहा

के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 161/164 की कुल 23.0229हैक् में से 51865/230229 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमरा वल्द मन्शाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमरा वल्द मन्शाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है अमरा वल्द मन्शाराम का देहान्त हो चुका है अमरा वल्द मन्शाराम की पुत्री बाधुदेवी का देहान्त हो चुका है अमरा वल्द मन्शाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो अमरा वल्द मन्शाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आर.आर.डी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतुक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 161/164 की कुल 23.0229हैक् में से 51865/230229 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमरा वल्द मन्शाराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमरा वल्द मन्शाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है अमरा वल्द मन्शाराम का देहान्त हो चुका है अमरा वल्द मन्शाराम की पुत्री बाधुदेवी का देहान्त हो चुका है अमरा वल्द मन्शाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो अमरा वल्द मन्शाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 161/164 की कुल 23.0229हैक् में से 51865/230229 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमरा वल्द मन्शाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 प्रत्येक 1/7 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 बहिब 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नौहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20. रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. पतराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. परमेश्वरी पत्नी अमराराम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
2. धन्नाराम पुत्र अमराराम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
3. दुनीराम पुत्र अमराराम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
4. चम्पादेवी पुत्री स्व अमराराम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
5. तुलसी पुत्री स्व अमराराम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
6. पूनम पुत्री स्व बादुदेवी जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
7. दीपक पुत्र स्व बादुदेवी जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
8. ममता पुत्री स्व बादुदेवी जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
9. विककी पुत्र स्व बादुदेवी जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
10. आरती पुत्री स्व बादुदेवी जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 243 सन 2022 निर्णय दिनांक- 22/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेंरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 161/164 की कुल 23.0229 हैक् में से 51865/230229 हिरसा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमरा वल्द मन्शाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 प्रत्येक 1/7 हिरसा , प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 बहिब 1/7 हिरसा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर